

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 30-4 (मु0) रा० यो०-०३-८१/२०२१ ~ १६३।

/पटना, दिनांक-०४/०४/२०२२

प्रेषक,

संजय दूबे भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के लखीसराय जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन चानन प्रखंड के किउल नदी में गोपालपुर गाँव के नजदीक शहीद जीतेन्द्र हाल्ट एवं लखनपुर गाँव के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 278.96 मी० (11x24.75M) हेतु निर्माण की राशि रु० 1554.85 लाख अनुरक्षण की राशि रु० 14.62 लाख अर्थात् कुल राशि 1569.47 लाख (पंद्रह करोड़ उन्हतर लाख सैतालिस हजार रुपये) भात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के लखीसराय जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन चानन प्रखंड के किउल नदी में गोपालपुर गाँव के नजदीक शहीद जीतेन्द्र हाल्ट एवं लखनपुर गाँव के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 278.96 मी० (11x24.75M) हेतु निर्माण की राशि रु० 1554.85 लाख अनुरक्षण की राशि रु० 14.62 लाख अर्थात् कुल राशि 1569.47 लाख (पंद्रह करोड़ उन्हतर लाख सैतालिस हजार रुपये) भात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय संबंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के दस तारीख तक निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता-2, पटना के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. Project Screening Committee की सहमति के पश्चात् इस योजना के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुशंसा समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित समिति द्वारा दिनांक 27.12.2021 को की गई है।
9. इस योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

- 302
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
 11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टिताओं/प्रविष्टि के अनुरूप कार्यान्वयन करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
 12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
 13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-81/2021 के पृ0 सं0-29/टी0 पर दिनांक ५.५.२०२२ को प्राप्त है।
 14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
 15. प्राक्कलन की विशिष्टिताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

विश्वासभाजन

५/५/२०२२

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक— मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-81/2021 - 1631

/पटना, दिनांक—०५/०५/२०२२

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५/५/२०२२

विशेष सचिव

ज्ञापांक— मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-81/2021 - 1631

/पटना, दिनांक—०५/०५/२०२२

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५/५/२०२२

विशेष सचिव

ज्ञापांक— मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-81/2021 - 1631

/पटना, दिनांक—०५/०५/२०२२

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुग्रेर/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/उप विकास, आयुक्त लखीसराय/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता-2, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 30-4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुग्रेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, लखीसराय/मुख्य महाप्रबंधक, नाबाड़, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्य कम्पलेक्स पॉचर्वी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५/५/२०२२

विशेष सचिव